न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 68/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/110)

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
1. इन्द्राज पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1. सुनीता पत्नी इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 1/2. सोनू पुत्र इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 1/3. द्रोपती पुत्री इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 1/4. देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 2. कृष्णलाल पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 3. चन्द्रप्रकाश पुत्र मेघाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 4. मेघराज पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 5. मनफूल राम उर्फ फूलाराम पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 6. लालचन्द पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 7. विजयपाल पुत्र मेघाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 8. विनोद कुमार पुत्र मेघाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर।	1. आसाराम पुत्र भोजाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर। 2. ख्यालीराम पुत्र ज्ञानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 3. लालचन्द पुत्र ज्ञानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर 4. हस्तीबाई पत्नी हरजीराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 5. दानाराम पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर। 6. तुलछाराम पुत्र दानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर। 7. लेखराज पुत्र दानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर। 8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणुपर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 28.04.2023

उपस्थितः1. श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता वादीगण
2.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

---निर्णय--- **दिनांकः26.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 158, 161 की कुल 5.085 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। जिसका अभी तक किलावाईज विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए वादीगण संयुक्त खाता की प्रश्नगत भूमि का भूमि की किस्म अनुसार किलावाईज विभाजन करवाकर अपने-अपने हिस्सा अनुसार भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अलग से अपने नाम दर्ज करवाने के हकदार है और वादीगण के नाम अलग से खाता कायम करवाकर स्वंय को विभाजनशुदा भूमि के खातेदार घोषित करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण से कहा कि प्रश्नगत संयुक्त खाता की भूमि का भूमि की किस्म अनुसार विधिवत किलावाईज विभाजन करवाकर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज अपने-अपने नाम दर्ज करवा लेवे, परन्तु प्रतिवादीगण सदैव टालमटोल करते रहे है और आज से करीब 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत भूमि का किलावाईज विधिवत् बंटवारा करवाने से साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 158, 161 की कुल 5.085 हैक्टेयर भूमि का भूमि की किस्म अनुसार विधिवत किलावाईज विभाजन करके वादीगण को 1.273 हैक्टेयर नहरी भूमि का अलग से खातेदार घोषित किया जाकर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अलग से वादीगण के

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

नाम संयुक्त रूप से दर्ज की जावे तथा भूमि का लगान अलग से वादीगण के नाम से कायम किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादगत भूमि का कई वर्षो से घरेलू किलावाईज बंटवारा हो रखा है। घरेलू बंटवारा की रूह से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 3, 8, 13, 18, 4 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 22 व 23 प्रत्येक 0.164 हैक्टेयर नहरी रकबा कब्जा काश्त में आया था और घरू बंटवारानामा की रोज से लेकर आज तक प्रतिवादीगण उपर वर्णित किलाजात पर काबिज काश्त चले आ रहे है और अन्य वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सा मुताबिक काबिज काश्त चले आ रहे हे। अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 1 एफ सी के मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 3, 8, 13, 18, 4 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 22 व 23 प्रत्येक 0.164 हैक्टेयर नहरी भूमि का खाता व लगान अलग से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रश्नगत भूमि का किलावाईज घरेलू बंटवारा नहीं हुआ है। मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 3, 8, 13, 18, 4 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 22 व 23 प्रत्येक 0.164 हैक्टेयर नहरी रकबा पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का कब्जा काश्त नहीं है और ना ही उक्त भूमि घरू बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हिस्सा में आई है। अतः जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अत्यधिक मियाद बाहर होने व कम कोर्ट फीस पर दायर होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को बतौर वादी संख्या 1/1 ता 1/4 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 6, 7 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादीगण चक 1 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 158, 161 की कुल 5.085 हैक्टेयर भूमि में से 1.273 हैक्टेयर भूमि के खातेदार घोषित होने व अलग से लगान व खाता कायम करवाने के अधिकारी है?

-जिम्मे वादीगण-

(ii)आया कि क्या प्रतिवादीगण चक 1 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 3, 8, 13, 18, 4 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 22 व 23 प्रत्येक 0.164 हैक्टेयर भूमि का अलग से लगान व खाता कायम करवाने के अधिकारी है?

-जिम्मे प्रतिवादीगण-

(iii)अनुतोष।

4. उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि बहस अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम, जवाब काउन्टर क्लेम का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। अधिवक्तागण ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा प्रकरण में साक्ष्यवादी व साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

5. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्तागण के द्वारा अर्ज किया कि प्रकरण में साक्ष्य न ली जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वस्तुतः वादी संख्या 1 के पिता, वादी संख्या 2 ता 8 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 158, 161 की कुल 5.085 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 के पिता, वादी संख्या 2 ता 8 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

6. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 158, 161 की कुल 5.085 हैक्टेयर भूमि में अभिलिखित खातेदार है, और राजस्थान काश्तकारी नियम-1955 के नियम 18 से 21 की पालना में अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी भूमि को ध्यान में रखते हुए भूमि का बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

7. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 158, 161 की कुल 5.085 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सुनीता पत्नी इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.018 हैक्ट) सोनू पुत्र इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.018 हैक्ट) द्रोपती पुत्री इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.018 हैक्ट) देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.017 हैक्ट) कृष्णलाल पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.424 हैक्ट) चन्द्रप्रकाश पुत्र मेघाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.071 हैक्ट) मेघराज पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.423 हैक्ट) मनफूल राम उर्फ फूलाराम पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(0.070 हैक्ट) लालचन्द पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(0.071 हैक्ट) विजयपाल पुत्र मेघाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(0.070 हैक्ट)	1 एफ सी	161 158	14 15 16 17 24 25 6/2 6/3 15	0.120 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर 0.165 हैक्टेयर 0.089 हैक्टेयर 0.038 हैक्टेयर 0.062 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.81 0.85 1.70 1.70 1.10 1.11 0.60 0.26 0.42

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

	विनोद कुमार पुत्र मेघाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर। (0.070 हैक्ट)						
2	ख्यालीराम पुत्र ज्ञानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(2.066 हैक्ट) लालचन्द पुत्र ज्ञानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(0.053 हैक्ट) हस्तीबाई पत्नी हरजीराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) (0.424 हैक्ट)	1 एफ सी	161 158	2,3 8,9 12,13 18,19 22 23 15	0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर 0.191 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	3.40 3.40 3.40 3.40 1.10 1.10 1.28
3	आसाराम पुत्र भोजाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर।(0.636 हैक्ट) दानाराम पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर। (0.423 हैक्ट) तुलछाराम पुत्र दानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर।(0.106 हैक्ट) लेखराज पुत्र दानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर।(0.106 हैक्ट)	1 एफ सी	161	4ता 7 14 15	1.012 हैक्टेयर 0.133 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	6.80 0.89 0.85

प्रकरण संख्या 58/2024 अनवान इन्द्राज आदि बनाम आसाराम आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के निर्णय में चक 1 एफ सी के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार श्रीकरणपुर को रिसीवर नियुक्त कर कब्जा बहक रिसीवर लिए जाने के आदेश दिए गए थे। जिसकी पालना में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 457 दिनांक 28.04.2025 के मुताबिक दिनांक 25.04.2025 को खडी फसल की निलामी मौका पर उच्चतम(60000/- रुपए) बोलीदाता फूलाराम पुत्र कृष्णलाल के पक्ष में छोडी गई तथा मौका पर 1/4 राशि 15000 रुपए प्राप्त की गई। लेकिन पटवार हल्का मुकन ए द्वारा सूचना दी गई कि उक्त रिसीवर रकबा पर खडी जौं की फसल अज्ञात कारणो से दिनांक 25.04.2025 की रात को आग से जल गई है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण अन्तिम डिक्री हो चुका है। इसलिए चक 1 एफ सी के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को रिसीवर मुक्त किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर भूमि का कब्जा उक्त बंटवारा अनुसार आसाराम आदि को सौपा जावे। रिसीवर रकबा पर खडी जौं फसल की जमा करवाई गई निलामी 1/4 राशि 15000 रुपए में से प्रशासनिक प्रभार एंव रिसीवर कमीशन आदि राजकीय शुल्कों की कटौती कर शेष राशि सम्बन्धित बोलीदाता को लोटाई जावे और फसल जलने के कारणो की जांच कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

इन्द्राज आदि बनाम आसाराम आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88, 91** आरटीए मुकदमा नम्बर **68/2023**

निर्णय दिनांक :-26.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 1 एफ सी, पटवार हल्का मुकन ए, भू.अ.नि. जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 158, 161 की कुल 5.085 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सुनीता पत्नी इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.018 हैक्ट) सोनू पुत्र इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.018 हैक्ट) द्रोपती पुत्री इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.018 हैक्ट) देवीलाल पुत्र इन्द्राज जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.017 हैक्ट) कृष्णलाल पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.424 हैक्ट) चन्द्रप्रकाश पुत्र मेघाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.071 हैक्ट) मेघराज पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर (0.423 हैक्ट) मनफूल राम उर्फ फूलाराम पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(0.070 हैक्ट) लालचन्द पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(0.071 हैक्ट) विजयपाल पुत्र मेघाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(0.070 हैक्ट) विनोद कुमार पुत्र मेघाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर।(0.070 हैक्ट)	1 एफ सी	161 158	14 15 16 17 24 25 6/2 6/3 15	0.120 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर 0.165 हैक्टेयर 0.089 हैक्टेयर 0.038 हैक्टेयर 0.062 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.81 0.85 1.70 1.70 1.10 1.11 0.60 0.26 0.42
2	ख्यालीराम पुत्र ज्ञानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(2.066 हैक्ट) लालचन्द पुत्र ज्ञानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(0.053 हैक्ट) हस्तीबाई पत्नी हरजीराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) (0.424 हैक्ट)	1 एफ सी	161 158	2,3 8,9 12,13 18,19 22 23 15	0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर 0.191 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	3.40 3.40 3.40 3.40 1.10 1.10 1.28
3	आसाराम पुत्र भोजाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर।(0.636 हैक्ट) दानाराम पुत्र गोविन्द राम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर। (0.423 हैक्ट) तुलछाराम पुत्र दानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर।(0.106 हैक्ट) लेखराज पुत्र दानाराम जाति मेघवंशी निवासी 2 एफ सी मुकन तहसील श्रीकरणपुर।(0.106 हैक्ट)	1 एफ सी	161	4ता 7 14 15	1.012 हैक्टेयर 0.133 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	6.80 0.89 0.85

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

प्रकरण संख्या 58/2024 अनवान इन्द्राज आदि बनाम आसाराम आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के निर्णय में चक 1 एफ सी के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार श्रीकरणपुर को रिसीवर नियुक्त कर कब्जा बहक रिसीवर लिए जाने के आदेश दिए गए थे। जिसकी पालना में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 457 दिनांक 28.04.2025 के मुताबिक दिनांक 25.04.2025 को खडी फसल की निलामी मौका पर उच्चतम(60000/- रुपए) बोलीदाता फूलाराम पुत्र कृष्णलाल के पक्ष में छोडी गई तथा मौका पर 1/4 राशि 15000 रुपए प्राप्त की गई। लेकिन पटवार हल्का मुकन ए द्वारा सूचना दी गई कि उक्त रिसीवर रकबा पर खडी जौं की फसल अज्ञात कारणो से दिनांक 25.04.2025 की रात को आग से जल गई है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण अन्तिम डिक्री हो चुका है। इसलिए चक 1 एफ सी के खाता संख्या 10/13 के मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर भूमि को रिसीवर मुक्त किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि मुरब्बा नम्बर 161 के किला नम्बर 4 की 0.253 हैक्टेयर भूमि का कब्जा उक्त बंटवारा अनुसार आसाराम आदि को सौपा जावे। रिसीवर रकबा पर खडी जौं फसल की जमा करवाई गई निलामी 1/4 राशि 15000 रुपए में से प्रशासनिक प्रभार एंव रिसीवर कमीशन आदि राजकीय शुल्कों की कटौती कर शेष राशि सम्बन्धित बोलीदाता को लोटाई जावे और फसल जलने के कारणो की जांच कर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगें।

आज दिनांक 02.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	1000	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	1004	**00**	योग	**04**	**00**

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांक 02.06.2025

क्रमांकः रीडर/ 2025/336

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
सत्यमेव जयते